Schedule XLII-High Court (J) 19[old (M)164]

<u>अनुमन्डल न्यायालय–असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) बनमनखी, पूर्णियाँ, बिहार</u>

समक्ष– सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

स्वत्व निष्पादन वाद सं.– 05 ⁄ 2017 सी.आई.एस.क्र.– 05 ⁄ 2017

अशोक कुमार मेहता एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
18.11.2025	डिक्रीदार एवं डिक्रीदार सं0 2 के वारिसान तथा प्रतिवादी राज्य की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता एवं ए.जी.पी. महोदय की हाजरी है। यह वाद डिक्रीदार सं0 2 के विधिक वारिसान की ओर से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 20.08.2025 पर सुनवाई एवं आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन को संचालित कर डिक्रीदार सं0 2 के विधिक वारिसान के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है कि डिक्रीदार सं0 2 सुशील कुमार मेहता की मृत्यु दिनांक 22.02.2021 को हो गयी है जो अपने पीछे अपने विधवा पत्नी रंजना मेहता, एक पुत्र रविशंकर एवं दो पुत्री सोनी सोनम एवं जागृति राज को छोड़कर मरे हैं। अतः विनम्र निवेदन है कि निष्पादन आवेदन से डिक्रीदार सं0 2 का नाम विलोपित कर उनके विधिक वारिसान को प्रतिस्थापित करने की कृपा की जाये। पुकार पर प्रतिवादी राज्य न तो उपस्थित हुये और ना ही उनके द्वारा प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है। डिक्रीदार सं0 1 की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा कोई आपत्ति व्यक्त नहीं किया गया है। डिक्रीदार सं0 2 के विधिक वारिसान के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि इस वाद के डिक्रीदार सं0 2 की मृत्यु हो चुकी है जिस कारण से उनके विधिक वारिसान वाद के आवश्यक पक्षकार हैं। वाद के प्रभावी एवं न्यायपूर्ण निराकरण के लिये मृत डिक्रीदार सं0 2 के विधिक वारिसान को पक्षकार बनाया जाना न्यायसंगत है। अतः डिक्रीदार सं0 2 के विधिक वारिसान के इस आवेदन को न्यायहित में **स्वीकृत** कर वाद से डिक्रीदार सं0 2 का नाम विलोपित कर उनके विधिक वारिसान को वाद में पक्षकार बनाये जाने का आदेश दिया जाता है। वाद आगामी दिनांक 25.11.2025 वास्त सुनवाई। हस्ताक्षर ह0 ⁄ – अ.सै.न्यायाधीश वरीय कोटि बनमनखी, पूर्णियाँ	